न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/486

1. मोहन कंवर पत्नी श्री बालूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दुडकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. बृज कंवर पत्नी श्री बजरंगसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दुडकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. स्वर्गीय बालू सिंह आत्मज श्री दरियाब सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दुडकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. मोहन कंवर पत्नी स्व0 श्री बालूसिंह जाति राजपूत ।
   3/2. पृथ्वीराज सिंह आत्मज स्व0 श्री बालूसिंह जाति राजपूत ।
   3/3. धनराज सिंह आत्मज स्व0 श्री बालूसिंह जाति राजपूत ।
   3/4. हिम्मत सिंह आत्मज स्व0 श्री बालूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दुडकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. बजरंग सिंह आत्मज श्री दरियाब सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दुडकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सूरज सिंह आत्मज श्री मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भीमपुरा हाल निवासी ग्राम दुडकली पोस्ट रीझडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. अमर सिंह आत्मज श्री धीर सिंह जी जाति राजपूत निवासी ग्राम दुडकली पोस्ट रीझडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. भंवर सिंह आत्मज श्री मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दुडकली पोस्ट रीझडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. प्रहलाद सिंह आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दुडकली पोस्ट रीझडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. गुमान सिंह आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दुडकली पोस्ट रीझडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बी0 सी0 मालवीय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।
3. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 02 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 04.08.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 26.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सारनखेडी तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नम्बर 372 रकबा 0.77 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है और उक्त आराजी को संयुक्त कुए से सिंचित करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के दक्षिण की तरफ आम रास्ता ग्राम नूरपुरा स्थित है जिससे प्रार्थी अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 372 पर आता–जाता है जिसे प्रार्थी कृषि हेतु आने–जाने के लिए रास्ते का उपयोग व उपभोग 60–70 वर्षो से करता चला आ रहा है । उक्त रास्ता नजरी नक्शा ग्राम सारनखेडी के रिकॉर्ड में भी दर्ज है । इसी प्रकार प्रार्थी के खाते की भूमि के पूर्व की ओर भी आम रास्ता खसरा नम्बर 368 स्थित है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी तथा अन्य खातेदारान करते चले आ रहे हैं । अप्रार्थी संख्या 01 के खाते की आराजी खसरा नम्बर 373 रकबा 1.5400 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 372 के पूर्व की तरह स्थित है तथा अप्रार्थी कम 02 व 03 के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 370 प्रार्थी के खाते की भूमि के पश्चिम में स्थित है । इसी प्रकार अप्रार्थी कम 04 के खाते की भूमि खसरा नम्बर 374 प्रार्थी के खाते की भूमि के उत्तर की ओर स्थित है । अप्रार्थीगण के खाते की आराजियात से लगवां आम रास्ते उपलब्ध हैं जिससे होकर आसपास के काश्तकार व प्रार्थी अपने खते पर आते–जाते हैं तथा कृषि कार्य करते हैं । अप्रार्थीगण अपने–अपने खेतों के समीप स्थित रास्ते को अवरूद्ध कर प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर काश्त हेतु आने–जाने व काश्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं । अप्रार्थीगण को प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर आने–जाने व कृषि उपकरण ले जाने हेतु रोकने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त व खाते की आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 0.77 हैक्टर भूमि वाके ग्राम सारनखेडी तहसील रामगंजमण्डी पर आने–जाने हेतु स्थित रास्ते को अवरूद्ध न करे तथा प्रार्थी को आने–जाने से नहीं रोके । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी कम 02 व 03 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.11.2019 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम सारनखेडी की भूमि खसरा नम्बर 372 पर आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 369 व 370 के मध्य मेड से पूर्ववत रास्ते के उपयोग से मूलवाद के निस्तारण पर्यन्त नहीं रोकने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2019 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 02 व 03 तथा मृतक बालूसिंह व बजरंग सिंह अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सारनखेडी की वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 226 की रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा आराजी स्थित थी । उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 226 की 04 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के खाते में दर्ज थी तथा शेष भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 5 के शामलाती खाते में दर्ज हुई थी । खसरा नम्बर 226 की भूमि में आने–जाने का रास्ता सदैव से ही ग्राम सारनखेडी से ग्राम भीमपुरा जाने वाले रास्ते (गडार) खसरा नम्बर 224 में से होकर रहा है जिसका वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 5 उपयोग करते रहे हैं । हाल खसरा नम्बर 372 की रकबा 0.77 हैक्टर भूमि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के खाते में दर्ज की गई है । खसरा नम्बर 373 की 1.5400 हैक्टर भूमि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 02 अमर सिंह के खाते में एवं खसरा नम्बर 374 की 0.77 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 03 भंवर सिंह के खाते में दर्ज की गई है । वर्तमान सेटलमेंट में खसरा नम्बर 226 के कई खसरा नम्बर 372, 373, 374 एवं अन्य खसरा नम्बर बना दिये । ग्राम सारनखेडी से ग्राम भीमपुरा जाने वाले रास्ते का नया खसरा नम्बर 368 कायम किया गया है । खसरा नम्बर 388, 383, 384 की भूमि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 5 के खाते व कब्जे की पुश्तैनी भूमि है । खसरा नम्बर 226 की भूमि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 5 की क्रयशुदा है । खसरा नम्बर 372 की भूमि में वादी रेस्पोडेन्ट खसरा नम्बर 373 व 374 की भूमि में होकर आता जाता है । इसके अलावा खसरा नम्बर 372 की भूमि में खसरा नम्बर 383, 384, 388, 387 की भूमि में होकर भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट आते–जाते हैं । वर्तमान में भी खसरा नम्बर 372 की भूमि में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट खसरा नम्बर 373 व 374 की भूमि में होकर ही आता–जाता है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट क्रम 03 व 04 ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 97 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट क्रम 3 व 4 खसरा नम्बर 369 की भूमि के दीगर 20 व्यक्तियों के साथ–साथ सहखातेदार हैं एवं उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । खसरा नम्बर 369 के बाबत् परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है । खसरा नम्बर 369 व 370 की कथित मध्य मेड पर कोई रास्ता कायम नहीं रहा है । खसरा नम्बर 369 व 370 की भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग में नहीं लिया है । मौके पर खसरा नम्बर 369 व 370 के मध्य कोई मेड कायम नहीं है । खसरा नम्बर 369 की भूमि में अपीलान्ट क्रम 03 व 04 का हित–निहित है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्ट क्रम 03 व 04 के हित प्रभावित हुए हैं वे प्रस्तुत अपील में हितबद्ध पक्षकार हैं । अतः अपीलान्ट क्रम 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट क्रम 3 व 4 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने अपीलान्ट कम 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया । अपीलान्ट कम 3 व 4 ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 369 का स्वयं को सहखातेदार होना कथन किया है तथा प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार होने का कथन किया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट कम 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट कम 3 व 4 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

11. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2038 से 2041 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रति, नकल नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, नकल मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियॉ हैं । उक्त दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता है । उक्त दस्तावेजात प्रकरण से सम्बन्धित है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. इसी प्रकार विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

13. हमने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में मौका पर्चा दिनांक 08.11.2019 की प्रमाणित प्रति है। उक्त दस्तावेज प्रकरण से सम्बन्धि है जिसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है । अतः न्यायहित में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

14. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 0.77 हैक्टर भूमि पर खसरा नम्बर 373 व 374 की भूमि में होकर आता–जात है । खसरा नम्बर 369 व 370 के दक्षिण में ग्राम दुडकली से ग्राम नूरपुरा जाने वाली गडार है । खसरा नम्बर 370 की 1.62 हैक्टर भूमि अपीलान्ट कम 1 व 2 के शामलाती खाते व कब्जे की है । खसरा नम्बर 369 की 1.56 हैक्टर भूमि अपीलान्ट कम 03 व 4 सहित कुल 22 सहखातेदारान की है । खसरा

नम्बर 369 व 370 की भूमि को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग में नहीं लिया है । परीक्षण न्यायालय ने खसरा नम्बर 369 के खातेदारान को पक्षकार बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि की है । खसरा नम्बर 369 के अपीलान्ट कम 3 व 4 के साथ–साथ समस्त 22 सहखातेदारान आवश्यक पक्षकार थे जिन्हें पक्षकार बनाये बिना ही सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत रास्ता सम्बन्धी विवाद निर्णित नहीं किये जा सकते । उपखण्ड अधिकारी को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रास्ते सम्बन्धी विवाद को निर्णित करने का अधिकार है । धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा नया रास्ता कायम करने का कोई अनुतोष भी नहीं चाहा गया था इसके उपरान्त भी परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अपीलान्टगण के पक्ष में है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1983 (एससी) नेज 1272, आरआरडी 1984 पेज 584 उद्वरत की ।

15. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 372 पर आने–जाने तथा कृषि हेतु आने–जाने के लिए रास्ते का उपयोग व उपभोग 60–70 वर्षो से खसरा नम्बर 369 व 370 के मध्य मेड से करता चला आ रहा है । उक्त रास्ता नजरी नक्शा ग्राम सारनखेडी के रिकॉर्ड में भी दर्ज है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है जिसमें वादी को जिससे आपत्ति है उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है और उसे ही पक्षकार बनाया है । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.11.2019 के अनुसार खसरा नम्बर 372 पर आने–जाने का पूर्व में खसरा नम्बर 369 की पूर्वी मेड तथा 370 की पश्चिमी मेड पर होकर जाने की जानकारी उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा किया जाना अंकित किया है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.02.2018 में अप्रार्थी कम 2 व 3 के विद्वान् अभिभाषक ने बताया कि हल्का पटवारी से रास्ते के सदंर्भ में मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना उचित होगा कि प्रार्थी को खसरा नम्बर 369 रास्ते को लेकर कौन परेशान कर रहा है । उक्त अंकन से भी साबित है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 369 की आराजी से होकर अपने खेत पर आते–जाते हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2019 बहाल रखा जावे ।

16. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 संलग्न की है जिसके अनुसार ग्राम सारनखेडी की आराजी खसरा नम्बर 369 रकबा 1.56 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 433 रकबा 1.31 कुल 02 किता की रकबा 2.87 हैक्टर भूमि अपीलान्ट कम 3 मृतक बालू सिंह व अपीलान्ट कम 04 बजरंग के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत किया गया है ।

17. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सारनखेडी तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नम्बर 372 रकबा 0.77 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है और उक्त आराजी को संयुक्त कुए से सिंचित करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के दक्षिण की तरफ आम रास्ता ग्राम नूरपुरा स्थित है जिससे प्रार्थी अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 372 पर आता–जाता है जिसे प्रार्थी कृषि हेतु आने–जाने के लिए रास्ते का उपयोग व उपभोग 60–70 वर्षो से करता चला आ रहा है । उक्त रास्ता नजरी नक्शा ग्राम सारनखेडी के रिकॉर्ड में भी दर्ज है । अपील के साथ दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के अनुसार ग्राम सारनखेडी की आराजी खसरा नम्बर 369 रकबा 1.56 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 433 रकबा 1.31 कुल 02 किता की रकबा 2.87 हैक्टर भूमि अपीलान्ट कम 3 मृतक बालू सिंह व अपीलान्ट कम 04 बजरंग के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 2910.2019 महत्वपूर्ण है । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सभी रिकॉर्डेड खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है तथा उक्त वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में सारभूत कानूनी बिन्दु यह निहित है कि क्या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत रास्ते सम्बन्धी अनुतोष अन्य खातेदारान की भूमि में प्राप्त किया जा सकता है । अपीलान्ट ने अपने अपील मीमो के बिन्दु संख्या 08 में कथन किया है कि – वादपत्र एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर पक्षकारान के मध्य तथाकथित रास्ते का विवाद है । धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रास्ता सम्बन्धी विवाद निर्णित नहीं किया जा सकता है । यहॉ यह महत्वपूर्ण है कि अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि कि परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया है, इसका खण्डन रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने नहीं किया है । हालांकि पत्रावली पर कहीं भी वाद की प्रति प्रस्तुत नहीं की है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट खसरा नम्बर 369 एवं 370 के मध्य मेड में होकर रास्ते के उपयोग एवं उपभोग के सम्बन्ध में वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 369 अपीलान्ट कम 3 व 4 के अलावा 20 अन्य सहखातेदारान के संयुक्त खाते की आराजी है जिन्हें पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से साबित है कि पक्षकारान के मध्य रास्ते का विवाद है । धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रास्ते सम्बन्धी विवाद निर्णित नहीं किये जा सकते । मूल वाद में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी अन्य खातेदार की भूमि में क्या रास्ते सम्बन्धी अनुतोष देय है ? हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से सहमत हैं कि रास्ता सम्बन्धी अनुतोष का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 व धारा 251 (क) में निर्धारित है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत रास्ता सम्बन्धी अनुतोष देय नहीं है । जबकि प्रस्तुत प्रकरण में मूलतः अनुतोष रास्ते का ही है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत रास्ते सम्बन्धी रिलीफ प्रदान नहीं की जा सकती । मूल वाद में कोई रिलीफ देय नहीं तो उस मूल वाद के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के आधार पर भी वह अनुतोष नहीं दिया जा सकता । ऐसी स्थिति में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1983 (एससी) पेज 1272 से सहमत हैं । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट

क्रम 03 व 04 के संयुक्त खाते की भूमि पर उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है ।

18. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2019 निरस्त किया जाता है ।

19. निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा